25 SEP 2000

8

संख्या-946/65-2-2000-282/2000

प्रेषक,

श्री नेत राम,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विकलांग कल्याण, उ०प्र०,
लखनऊ।

विकलांग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, , 2000

विषय:- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण यंत्र इत्यादि खरीदने तथा मरम्मत करने हेतु सहायक अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली में निर्धारित अनुदान की धनराशि की सीमा में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण यंत्र इत्यादि खरीदने तथा मरम्मत हेतु सहायक अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली" के नियम 5 में निम्न प्राविधान है:-

§5§ नियम-6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए व्यक्तिगत मामलों में आवश्यकतानुसार रू0 50/- से रू0 1000/- तक जैसा कि जिले के चिकित्साधिकारियों द्वारा संस्तुति की गयी हो, अनुदान की धनराशि स्वीकृत की जायेगी। परन्तु कृत्रिम अंग अथवा श्रवण यंत्र की मरम्मत हेतु देय अनुदान की धनराशि रू0 100/- से अधिक न होगी।

नियम-6 का प्राविधान निम्नानुसार है:-

2- §6§ प्रार्थी निम्नानुसार वर्ग के आधार पर निर्धारित स्वयं के स्रोतों से लगायेगा:-

आय प्रति मास	अंशदान की धनराशि
1- 100/- रू0 तक	कुछ नहीं।
2- 101/- रू0 से 200/- रू0 तक	स्वीकृत मद के लागत मूल्य का 1/3 भाग
3- 201/- रू0 से 300/- रू0 तक	स्वीकृत मद के लागत मूल्य का 1/2 भाग।

2. चूँकि उक्त नियमावली काफी पुरानी है एवं उसके बाद महँगाई में हुई वृद्धि के कारण कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों के मूल्य में हुई वृद्धि को देखते हुए, एवं उक्त कारण से विकलांग व्यक्तियों हेतु उक्त योजना के संचालन में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त नियम-5 व 6 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:

1- [illegible]

2- नियम-5 निम्नानुसार संशोधित किया जाता है-

अनुदान धनराशि:-

5- व्यक्तिगत मामलों में आवश्यकतानुसार रू0 50/- से रू0 3500/- तक जैसा कि जिले के सरकारी चिकित्साधिकारियों द्वारा संस्तुति की गयी हो, अनुदान की धनराशि स्वीकृत की जायेगी, परन्तु कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों की मरम्मत हेतु दिये जाने वाले अनुदान की धनराशि रू0 500/- से अधिक न होगी।

3- कृपया तदनुसार योजना के संचालन की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समस्त संबंधित अधिकारियों को उक्त संशोधन से अवगत कराने का कष्ट करें तथा उक्त संशोधन का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

4- उक्त संशोधन के अनुसार संबंधित नियमावली में संशोधन अलग से किया जा रहा है।

5- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3-994, दि0 04-8-2000 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नेत राम)
सचिव।

संख्या- 946(1)/65-2-2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त उप निदेशक, विकलांग कल्याण/समाज कल्याण, उ0प्र0।
4- समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त संशोधन के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

आज्ञा से,

(सरफराज आलम)
उप सचिव।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक: ज्ञाप/एसटी-2000, दिनांक सितम्बर 29, 2000।

1- प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी, नैनीताल/हल्द्वानी/रामनगर/कोश्या कुटौली/धारी एवं नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- प्रतिलिपि जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0 [illegible])